


समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

पुन0 प्रकरण / 2017



राजेन्द्र प्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रा0, निवासी-ग्राम फुलहा, थाना व तहसील-नईगंढी, जिला-रीवा (म0प्र0) हाल निवास-तमेर पट्टोल पम्प के पूर्व रतहरा पोस्ट आफिस रतहरा डी0के0 दुबे के घर के पास वार्ड क्र0-15, रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

.....आवेदक / गैरनिगरानीकर्ता

बनाम

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ब्रा0,
 2. अशोक कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
 3. अवनीश कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
 4. अमित कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार ब्रा0
- सभी निवासी-ग्राम फुलहा, थाना व तहसील-नईगंढी, जिला-रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदक / निगरानीकर्तागण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध प्रकरण क्र0-निग0 2011-दो/15 बृजेन्द्र प्रसाद व अन्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 पर पुनर्विचार किये जाने बावत्।

पुनर्विचार आवेदन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0।

श्री. ओ. पी. शर्मा (रख:) द्वारा आज दि. 01-02-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Op. Sharma 01-2-2017 मान्यवर,

श्री. ओ. पी. शर्मा (एडवोकेट) राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) पता: नं. 107/1-05027

पुनर्विचार आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्र0-निग0 2011-दो/15 बृजेन्द्र प्रसाद व अन्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद विचाराधीन था, जिसमें मान्नीय न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 436-दो/2017

जिल-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-4-2017	<p>आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण क्रमांक 2011-दो/2015 में पारित आदेश 12-1-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण <p>आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण क्रमांक 2011-दो/2015 के मूल आदेश दिनांक 12-1-2017 में आदेश पारित किया जाकर चुका है।</p> <p>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(एस0एस0 अली)
सदस्य